


तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बिरानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावे। खर्चा फरीकेन अपना - अपना वहन करेगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे प्रशावली निर्णय शूमार होकर वाद तकमील दाखिल दफतर हों।

आदेश आज दिनांक 18.02.21 को मेरे द्वारा लिखाया गया खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कपिल यादव)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं
एडमिनिस्ट्रेशन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official